निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 576) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(डि0)–14–28/2007/1051—श्री अरूण प्रकाश तिवारी तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवा पथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0, खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमण्डल–2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गई। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉच फल एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आलाभरित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, डिहरी को अभियंता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॉच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियंता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। तदनुसार प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री अरूण प्रकाश तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरान्त विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 1380 दिनांक 30.11.09 द्वारा श्री अरूण प्रकाश तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो के विरूद्ध दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्व श्री अरूण प्रकाश तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो सम्प्रति सहायक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0 2, बेतिया द्वारा पत्रांक 78 दिनांक 24.08.15 के माध्यम से पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि संसूचित दण्डादेश के विरूद्व करीब सात वर्षो के पश्चात श्री तिवारी द्वारा पुनर्विचार

अभ्यावेदन दिया गया है। निर्गत दण्डादेश का प्रभाव भी समाप्त हो चुका है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–25 में निर्गत दण्डादेश के विरूद्व 45 दिन के भीतर ही पुनर्विचार अभ्यावेदन देने का प्रावधान है किन्तु इस मामले में श्री तिवारी द्वारा पुनर्विलोकन हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात पुनर्विचार अभ्यावेदन दिया गया है जो कानूनन ग्राह्य नहीं है।

अतः सम्यक समीक्षोपरान्त श्री अरूण प्रकाश तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए संसूचित दण्ड को यथावत् रखने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री तिवारी को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्यामानन्द झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 576-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in